उत्तरांचल शासन
नियोजन विभाग

संख्याः 41 / 135-नि0अ0/2003
दिनांक :फरवरी 09 ,2004

कार्यालय ज्ञाप

विषयः सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना, कार्य क्षेत्र, कार्यक्रम कियान्वयन प्रणाली तथा क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए विशेष व्यवस्था

वर्ष 1947 से 1960 के मध्य विभिन्न विकास योजनाओं के कियान्वयन के उपरान्त भी यह पाया गया कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश की ऐसी 3 सीमान्त राजस्व इकाईयां (तहसीलें) थी जिन में मूलभूत अवस्थापनापरक सुविधाओं का अभाव बना रहा और उनकी विकास की गति अन्य क्षेत्रों के अपेक्षा अत्यन्त कम रही। सीमान्त क्षेत्र में स्थित ऐसे क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए फरवरी 24, 1960 को सीमान्त में स्थित ऐसी तहसीलों को उच्चीकृत करके कमशः चमोली, पिथौरागढ़ तथा उत्तरकाशी जनपद के रूप में स्थापित किया गया। इनकी विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था को रेखांकित करने के लिए उत्तराखण्ड मंडल की स्थापना की गयी और मार्च 1960 में इसे गोपन विभाग के अन्तर्गत रखा गया। राज्य मुख्यालय तथा इन नव सृजित जनपदों के बीच में ऐसी कार्य पद्धति को विकसित किया गया जिससे महत्वपूर्ण योजनाओं का चिन्हीकरण, उनकी स्वीकृति, पर्यवेक्षण तथा कियान्वयन की गति तेज हो सके। मत्रि परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा तत्कालीन मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश को अपनी समस्त शक्तियां प्रदान कर दी जिससे इन चिन्हित जनपदों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का निर्णय लेने व कियान्वयन में विलम्ब न हो। इसी प्रकार मुख्य सचिव को भी शासन के किसी विभाग के सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया और मुख्य सचिव को ही नये उत्तराखण्ड मंडल का आयुक्त भी घोषित किया गया, जिससे नव सृजित जनपद के जिला मजिस्ट्रेटों और शासन के बीच अन्तर कम से कम हो सके।

2. पूर्व में सृजित सीमान्त जनपदों के विकास की वर्तमान स्थिति के मूल्यांकन से स्पष्ट है कि इन सीमान्त क्षेत्रों का अभी तक अपेक्षित स्तर तक विकास नहीं हुआ है और अनेक क्षेत्रों में आज भी अवस्थापना तथा अन्य विकासपरक कार्यक्रमों में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफी अन्तर है। राज्य सरकार इन सीमान्त क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए आज भी उतनी ही संकल्पबद्ध है जितने कि वह 1960 में थी। सीमान्त क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नवत विशेष व्यवस्था की जाती है:

2.1 पूर्व सृजित सीमान्त जनपदों अर्थात चमोली, उत्तरकाशी एवं पिथौरागढ़ में स्थित सभी विकास खण्डों को सम्मिलित करते हुए सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना की जाती है जो इन क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए हर सम्भव उपाय करेगी।

2.2 उपरोक्त प्राधिकरण की अध्यक्षता मा. मुख्य मंत्री जी द्वारा की जायेगी तथा उपाध्यक्ष, योजना आयोग प्राधिकरण के उपाध्यक्ष होंगे। प्राधिकरण के अन्य सदस्यों में सीमान्त क्षेत्रों के माननीय विधायक सदस्य रहेंगे तथा मुख्य सचिव उपरोक्त प्राधिकरण के सदस्य सचिव रहेंगे।

2.3 जिन सीमान्त विकास खण्डों को योजना आयोग की सीमान्त क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत धनराशि दी जा रही है उससे सम्बन्धित योजनाओं का विरचन तथा स्वीकृति भी इस नव गठित प्राधिकरण के द्वारा दी जायेगी और उनका अनुश्रवण भी इस प्राधिकरण के द्वारा किया जायेगा।

2.4 जो विकास खण्ड वर्तमान में योजना आयोग की उपरोक्त सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है उन्हें भी राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से उसी दर से वार्षिक आर्थिक सहायता दी जायेगी जिस दर से योजना आयोग के द्वारा ऊपरवर्णित योजना से अन्य सीमान्त क्षेत्र के विकास खण्डों को दी जा रही है।

2.5 उपरोक्त प्राधिकरण के कार्य क्षेत्रों में पड़ने वाले विकास खण्डों के लिए जो जिला योजना और राज्य सैक्टर के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त होती है उसका पर्यवेक्षण भी प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा और कालान्तर में उनके कियान्वयन और परीक्षण का कार्य भी प्राधिकरण के द्वारा ही किया जायेगा।

2.6 उपरोक्त प्राधिकरण को नियोजन विभाग के द्वारा संचालित किया जायेगा और नियोजन विभाग ही प्राधिकरण का प्रशासनिक विभाग होगा।

2.7 उपरोक्त वर्णित आर्थिक संसाधनों के अतिरिक्त प्राधिकरण को राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी विशेष कार्यों के लिए समय समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।

3. सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण के कार्यों को कम से कम समय में कियान्वित किया जा सके और राजकीय सहायता का प्रवाह तेज हो सके इस सम्बन्ध में अन्य प्रशासनिक परिवर्तनों को भी यथाशीघ्र कियान्वित किया जायेगा जिससे प्राधिकरण की स्थापना की उपयोगिता सफल हो सके और इस सम्बन्ध में आवश्यक सुसंगत आदेश भी निर्गत किये जायेंगे।

4. प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र निम्नवत रहेगा:

4.1 सीमान्त विकास खण्डों में सामाजिक, आर्थिक विकास की बेंच मार्क सर्वेक्षण करना,

4.2 अवस्थापना सुविधा में गैप्स (gaps) चिन्हीत करना,

4.3 सीमान्त क्षेत्र के निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए योजनायें तैयार करना,

4.4 चलाई जा रही परियोजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना तथा

4.5 शासन को इन क्षेत्रों के लिए नीतियां बनाने हेतु सलाह देना।

5. सीमान्त क्षेत्र विकास योजना कियान्वित करने के लिए योजना आयोग के मार्गनिर्देश सिद्धान्तों के अनुसार वर्तमान में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक स्कीनिंग कमेटी गठित है जिसमें विभागीय प्रमुख सचिव/सचिवों तथा अन्य सदस्यों के अतिरिक्त सलाहकार, योजना आयोग (एम.एल.पी), भारत सरकार, सब एरिया कमाण्डर, आई.टी.बी.पी., एस.एस.बी. तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं। उन्हें पूर्ववत प्राधिकरण की स्कीनिंग कमेटी में स्थान दिया जायेगा।

6. प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र में पूर्ववर्ती जनपद चमोली, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ के जो विकास खण्ड अब सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित किये गये हैं उनकी सूची अनुलग्नक–1 में दी गयी है। नियोजन विभाग को सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण के सफल कियान्वयन के लिए जो अतिरिक्त मानव संसाधन और वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी, उससे सम्बन्धित आदेश अलग से निर्गत किये जा रहे हैं।

(आर.एस. टोलिया)
मुख्य सचिव

संख्या :41/135/नि0उ0-03,तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. निजी सचिव मा. मुख्य मंत्री, उत्तरांचल
2. मा. उपाध्यक्ष, योजना आयोग,
3. अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन
5. सचिव नियोजन
6. मंडलायुक्त, कुमायूं एवं गढ़वाल मंडल
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल

(आर.एस. टोलिया)
मुख्य सचिव

अनुलग्नक : 1

सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आने वाले जिले तथा जिलों के विकास खण्ड

क्रमांक	जनपद	विकास खण्ड
1.	उत्तरकाशी	1. भटवाड़ी 2. डूण्डा 3. विन्यालीसौड़ 4. नौगांव 5. पुरोला 6. मोरी
2.	रूद्रप्रयाग	1. अगस्तमुनि 2. उखीमठ
3.	चमोली	1. जोशीमठ 2. घाट 3. नारायण बगड़ 4. कर्णप्रयाग 5. गैर सैण 6. देवाल 7. पोखरी 8. दशोली 9. थराली
4.	पिथौरागढ़	1. विण 2. मूनाकोट 3. कनालीछिना 4. गंगोलीहाट 5. बेरीनाग 6. डीडीहाट 7. धारचूला 8. मुनस्यारी
5.	चम्पावत	1. पाटी 2. बाराकोट 3. लोहाघाट 4. चम्पावत

1. कुल जनपद : 05

2. कुल विकास खण्ड : 29